

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1195 / 12-1

गोपेश्वर,

दिनांक

16/09/

2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में विधान सभा थराली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.895 है० आरक्षित 1.069 है० सिविल भूमि कुल 5.964 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र सं० 407/FP/UK/Road/20189/2016 दिनांक 03.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावों पर लगायी गई आपत्तियों निराकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली के पत्र सं० 1638/36सी० दिनांक 06.09.2017 से निम्नानुसार किया गया है:-

1-एफ०आर०ए० में ग्राम पंचायत सरकोट की उपस्थित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

2-लाभ-लागत विश्लेषण प्रमाण पत्र मात्रात्मक रूप तैयार एवं एन०पी०वी० धनराशि का मूल्यांकन प्रमाण पत्र सही कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

3- प्रस्ताव में लगायी गयी छाया प्रति सत्यापित कर दी गयी है।

4- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रमाण की योजना में सी०ए० स्थल का नाम अंकित कर दिया गया है।

5-बांज वृक्ष प्रभावित होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र वन संरक्षक महोदय गढ़वाल वृत्त पौड़ी द्वारा संलग्न किया जाना है।

6- एन०पी०वी० आंकलन में संशोधन प्रमाण-पत्र तैयार कर संलग्न कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न:- प्रस्ताव 3 सं०।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को उनके पत्रांक 1638/36सी० दिनांक 06.09.2017 के क्रम में सूचनाएं प्रेषित।

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
थराली चमोली।**

पत्रांक 1638/36सी0
सेवा में,

दिनांक 06 /09/2017

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में विधान सभा थराली के अन्तर्गत सरकोट - देवसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.895 हे0 आरक्षित 1.069 हे0 सिविल कुल 5.964 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ:- कार्यालय - अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र सं0 407/fp/uk/ road /20189/2016 देहरादून दिनांक 03/अगस्त 2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम म अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्तावों पर लगायी गई आपतियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नानुसार प्रेषित है।

- 1:- एफ0आर0ए0 में ग्राम पंचायत सरकोट की उपस्थित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
- 2:- लाम - लागत विश्लेषण प्रमाण पत्र मात्रात्मक रूप तैयार एवं एन0पी0वी0 धनराशि का मूल्यांकन प्रमाण पत्र सही कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
- 3:- प्रस्ताव में लगायी गयी छाया प्रति सत्यापित कर दी गई है।
- 4:- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रमाण की योजना प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित वर्तमानों दरों से ही गठित किया गया है। तथा योजना में सी0ए0 स्थल का नाम अंकित कर दिया गया है।
- 5:- बांज वृक्ष पप्रभावित होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र वन संरक्षक महोदय गढ़वाल वृत्त पौड़ी द्वारा संलग्न किया जाना है।
- 6:- एन0पी0वी0 आंकलन में संशोधन प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न कर दिया गया है।
अतः अनुरोध है, कि उक्त आख्या अपने स्तर वन संरक्षक महोदय पौड़ी को अग्रसारित करने का कष्ट करें

संलग्न:- प्रस्ताव 3 न0।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली चमोली।

पत्रांक /36सी0

दिनांकित

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता द्वितीय लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली चमोली।